

जज अदालत 34 2405 अधिकारी मुकाम सुंभुर

मांगुराम पुत्र सुलताना राय मीणा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सुंभुर

किसम मुकदमा 340-47 रकबा दुरुहली मु. नं. 69 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.17	<p>आज प्राचीन का 340-47 रकबा दुरुहली कादजाय तहसीलदार सुंभुर से प्राप्त होने पर पेरा ड्रॉ है। तहसीलदार सुंभुर ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार गाम उदावास की जमाबन्दी रकबा सं० 173 में मांगुराम पि० सुलतान जाति मीणा दर्ज है। जबकि मिलल बन्दोखस्त व सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी में मांगुराम पि० सुलतान दर्ज है जो सही है। अतः गाम उदावास की जमाबन्दी रकबा सं० 173 में मांगुराम पि० सुलतान के बजाय मांगुराम पि० सुलतान किफा जात उचित बनाया जाकर रिपोर्ट पेरा की गई। हमने 340-47 के संबंध दस्तावेजों व रिपोर्ट हल्का पम्पारी/ गिरदावर व रिपोर्ट तहसीलदार पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। निम्न प्राचीन यह 340-47 रकबा दुरुहली स्वीकार किया जाय उचित प्रतीत होता है अतः</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश।</u></p> <p>प्राचीन के रकबा दुरुहली 340-47 एक परचारी हल्का उदावास व भू. अ. नि. सुंभुर तथा तहसीलदार की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान-भू. राजस्थ-अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में गाम उदावास तहसीला व जिला सुंभुर की जमाबन्दी सन् 2058-2061 में रकबा सं० 173 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि आशुद्ध मांगुराम पि० सुलतान के बजाय - 2-</p>	

